© 2017 IJSRSET | Volume 3 | Issue 2 | Print ISSN: 2395-1990 | Online ISSN : 2394-4099
Themed Section : Education

पिथौरागण जनपद में निवास करने वाली राजी जनजाति का समाजिक संदर्भ व उसमें होने वाले परिवर्तन

ओम प्रकाश सिंह यादव
प्रवक्ता (समाजशास्त्र),
राजकीय इण्टर कालेज,
ख्वाकोट पिथौरागण, उत्तराखण्ड, भारत।

शोध आलेख सार – आधुनिक विधान व कल्याणकारी योजनायें के सकारात्मक योजनाओं को समाहित किया जायें। और इससे होने वाले दुष्य परिणामों से निजात दिलाई जायें। आधुनिक पेय, दहेज प्रथा, फास्टफूड इनके जीवन में समाहित होते जा रहे है। जड़ी–बुट्टीयों के स्थान पर अंग्रेजी दवाओं से ये अनुकूलन नहीं कर पा रहे है। इसमें सुधार की अवश्यकता है। यह जनजाति उत्तराखण्ड में निवास करने वाली भोटिया, जौनसारी, राणा, थारु, बुक्सा से बहुत ही पिछड़ी है। यह समाजिक रुप से भोटिया व जौनसारी की अपेक्षा प्रकृति के ऊपर ज्यादा निर्भर है। जहां भोटिया में विकास की पूर्ण अवस्था देखने को मिलती है। वहीं इस जन जाति में समाजिक विकास के मानक गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, शारीरिक दुर्बलता, अकेलापन, जंगली निवास है। यह पूर्ण रुपेण ग्रामीण समाज व ग्रामीण संरचना से युक्त है। वहीं भोटिया अन्य जन जातियों में ग्रामीण संस्कृति व शहरी संस्कृति का मिला – जुला रुप देखने को मिलता है। इसके पहनावें भेष–भुसा पुर्णतः आदिवासी संस्कृत के है। जब कि अन्य जन जातियों में एक प्रतीक के रुप में जन जाति संस्कृत को अपनाया जा रहा है। अतः मूल में बहुत ही प्रकृति वादी व सनातनी व्यवस्था इस राजी जन जाति में देखने को मिलती है।

मुख्यशब्द – पिथौरागण जनपद, राजी जनजाति, समाजिक, आधुनिक, कल्याणकारी योजना।

मानव इतिहास के प्रागैतिहासिक काल से ही समूह या समुदाय में रहता चला आ रहा है। बिना समाज के मानव की कल्पना नहीं की जा सकती है। संस्कृत में कहा गया है। ''सभायाम् प्रवेशंअर्हति इति् सभ्यः'' समाज के बिना असभ्य है। मेसोपोटामिया से लेकर दजला फरात की घाटी व सिन्धू सभ्यता के इतिहास में सब जगह मानव का इतिहास बिना समाज के सम्भव नहीं है। इसी प्रकार वेदों में कहा गया है कि '' ऊँ सहनाववतु सहनौभुनक्तु सहवीर्यं करवावहैं, तेजस्विना वधीतमस्तु मां विद्विषावतवहैं। ऊँ शान्तिः शान्तिः।'' अर्थात हम सभी साथ साथ रहकर एक दुसरे की रक्षा करें व साथ साथ भोजन करें...

''संगच्छध्वं संवदध्वं सं वो मनांसि जानताम्.....। अर्थात हम सब एक साथ चले। राजी जनजाति के गांवों का सर्वेक्षण करने से पता चलता है कि जिस प्रकार मानव शिशु जन्म के समय एक प्राणी शास्त्री एकाई के रुप में होता है और वह समाज में आकर ही समाजिक परम्पराओं, रीति–रिवाजों, प्रथाओं–मूलयो के द्वारा समाजिक या असमाजिक बनता है यह उसका समाजिक करण ही तय करता है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री पारसन्स ने कहा है कि ''बच्चा जन्म के समय समाजिक तलाब में फेंक दिया जाता है और समाज ही उसे गढ़ कर संवार कर समाज में रहने योग्य बनाता है।''

पिथौरागण जनपद के सुदूर अनचलों में निवास करने वाले लगभग 450 परिवारों के अध्ययन के द्वारा यह ज्ञात होता है कि परिवार स्वरुपतः आंशिक रुप से संयुक्त होते हुऐ एकल परिवार बहुतायत रुप में पाये जाते है। है कि परिवार का स्वरुप आंशिक रुप से संयुक्त होते हुऐ एकल परिवार बहुतायत रुप में पाये जाते है। परिवार का मुखिया वास्तविक में तो पुरुष ही होता है। लेकिन भारत सरकार के दस्तावेजों के अनुसार महिला ही कागज की मुखिया है। इतना सब होते हुऐ भी इनका समाज पुरुष प्रधान समाज है। सरकारी विधान महिला पुरुष की समानता की बात करता है। वह उतना तो नहीं है लेकिन आम समाजों की तुलना में इस जन जाति के परिवारों में स्त्री पुरुष समानता अन्य जातिय परिवारों से अधिक है पुरुष महिलाओं से डरता है । इसके विषय में पुछने पर पता चला कि आधिंकाश रोजी–रोटी का दात्यिव महिलाओं के ऊपर है तथा पुरुष मद्पान इत्यादि बुराईयों के भय से महिलाओं से बचता रहता है। जन जातिय समाज पितृ सत्तात्तमक के साथ–साथ पितृ स्थानी होते है। इन परिवारों के अध्ययन से पता चला कि सरकार के महिला उत्पीड़न के कानूनों व महिलाओं की बराबर की हिस्सेदारी के बारे में सबकों समान्य जानकारी है। विवाह सम्बन्ध प्रतिकों के बीच आम तौर पर मनाही है। अर्थात भारतीय विधान चचेरे–फुफेरे या नजदीकी के रक्त सम्बन्ध व एक गांव स्थानीय राजी जन जाति में विवाह वर्जित है। इसकाका स्वरुप समान्यतः हिन्दू परिवारों की भॉति है। लेकिन इनमें जीवन साथी में तथा एक प्रतीक मानने वालों के बीच विवाह सम्भव नहीं है। ऐसा करना समाजिक बुराई के अन्तर्गत आता है। इनके के चुनाव की स्वतन्त्रता है। स्त्री–पुरुष दोनों कि जिसके साथ शादी करने की इच्छा होती है। उसके साथ शादी करने के लिए उनपर परिवार के किसी सदस्य का दबाव नहीं होता है। शादी करने के पश्चात् दोनों दम्पति घर से भाग जाते है। कुछ दिन रहने के बाद पुनः अपने घर आते है तथा अपनी विरादरी को भोज देकर इस जाति के सदस्य बन जाते है। समान्यतः सर्वेक्षण से पता चलता है कि लड़कीयों की शादी कम उम्र में ही हो जाती है। विवाह में रक्त सम्बन्धीयों को बुलाते है। विवाह समारोहों में समान्य रुप से कम से कम खर्चे होते है। दाल – भात इत्यादि भोज किये जाते है। आधुनिक विधान अनुसूचित जाति की पुत्रीयों की शादी एवं बीमारी हेतु योजना के द्वारा जिनकी आय 15000 हजार रुपय से कम है। उनको एक मुस्त सहायता धनराशि 50000 रुपये की धनराशि प्रदान की जायेगी। इस योजना की जानकारी उनको है। लेकिन सरकार की आयु सीमा निर्धारण 18 और 21 वर्ष से पहले ही वे विवाह सम्बन्धों में बंध जाते है। तथा इस उम्र तक होते होते उनके दो – चार बच्चें हो जाते है ।

विवाह समारोहों में रीति–रिवाज के रुप में सारे कार्यक्रम लड़की के घर पर ही सम्पन्न किये जाते है। लड़की को लड़के के तरफ से लड़की को सगुन के रुप में टीका लगाया जाता है। इसके के लिए कुछ धनराशि लड़के के पक्ष वालों द्वारा लड़की पक्ष को दिया जाता है। विवाह संस्कार सम्पन्न कराने में पुरोहित की महत्पूर्ण भुमिका होती है। पुरोहित को धामी नाम से सम्बोधित किया जाता है। लेकिन आज कल आधुनिक विधानों व इनके विकास के लिए चलायी गयी योजनाओं के द्वारा अन्य वर्गो से सम्पर्क के फलस्वरुप अर्थिक रुप से सम्पन्न व्यक्ति ब्राहमण वर्ग के पुरोहितों को

बुलाने लगे। परम्पराओं के निर्वाह में आज तक किसी के भी शादी बारात गृह या होटल आदि में सम्पन्न नहीं की गयी है। किन्तु गांव में बनाये गये जन मिलन केन्द्रों जो केवल इनके गांव में बनाये गये है। उनमें शादीयां होने लगी है। दहेज निरोधक कानून की जानकारी होने के बावजूद भी इनमें भी बाहरी सम्पर्क के फलस्वरुप दहेज प्रथा जैसी बुराई का धीरे – धीरे समावेश होने लगा है। लेकिन यह गिने – चुने लोगों में है।

बाल – विवाह के परिणाम स्वरुप कम उम्र में बच्चे होने के कारण महिलाओं की शारीरिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ता है तथा रक्ताल्पता ऐनेमिया और यौन संक्रमण जैसी बीमारीयां बच्चों व महिलाओं में होने की समस्या उत्पन्न हो जाती है। आधुनिक विधान, एनजीओ व आंगनबाड़ी केन्द्रों की कार्यकत्तीयों के द्वारा समझाने के फलस्वरुप बाल – विवाह की दर में कमी तो आई है। लेकिन अभी भी बहुतायत में जारी है। बाल मृत्यु दर और माता मृत्यु दर जनस्वास्थ केन्द्रों के माध्यम से घट तो रही है। लेकिन राजी परिवारों की जनसंख्या में उचित वृद्धि नहीं हो पा रही है। पुरुषों में मद्पान जो पुराने पेय जड़ी – बुट्टी के स्थान पर प्रयोग किया जा रहा है। वह विनाश का कारण बनता जा रहा है। यह सब उनमें आये आधुनिक परिवर्तनों के फलस्वरुप दुष्य परिणाम के रुप में सामने आ रहा है। इनमें विवाह का एकल स्वरुप पाया जाता है। किन्तु अगर किसी का निधन हो जाता है। तो स्त्री – पुरुष दोनों विवाह करने के लिए स्वतन्त्र होते है। किन्तु आज के दौर में सम्पर्क के कारण इस प्रक्रिया पर कुछ विराम लग रहा है। राजी परिवार समाजिक रुप से रक्त सम्बन्धों से आबद्ध परिवारों में बंधे हुऐ है।

विवाह के बाद वे संयुक्त परिवार के रुप में रहते है। लेकिन बाल बच्चेदार हो जान पर दोनों पति–पत्नी अलग निवास बनाकर रहने लगते है। हिन्दू विवाह अधिनियम के द्वारा संयुक्त परिवार के अलावा भी सम्पत्ति के अधिकार अलग राशन कार्ड जिससे कि दुसरें घर का निर्माण हो सके । इन्दिरा आवास योजना प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक नया घर मिल सके इसके लिए भी परिवार अलग हो रहा है। रोजी – रोटी की तलाश में गांव से बाहर जाना बाहर के सम्पर्क में आने से परिवार का स्वरुप बदलता जा रहा है। बाहरी सम्पर्क के फलस्वरुप घर के खाने के अलावा फास्फूड का भी सेवन करने लगे है। वन उत्पाद स्वास्थ के लिए हितकर होते थे। लेकिन फास्टफूड का स्वास्थ पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ रहा है। आम तौर पर राजी समुदाय में नातेदारी में रक्त सम्बन्ध और विवाह सम्बन्धों का विशेष महत्व है। पुरे गांव को एक नातेदार के रुप में माना जाता है। गांव के सभी नातेदार एक निश्चित गांव की दिशा से अपनी नातेदारी का सम्बन्ध जोड़ते है।

राजी जन जाति के परिवार प्राथमिक सम्बन्धों से आबद्ध है। यह एक सरल समाज है। समुह में रहता है समुह में ही बाहरी दुकानों से, बाजारों से सम्पर्क स्थापित करता है। सभी लोग मिलकर एक विशेष दुकान पर जाकर विश्वास पात्र दुकानदार के यहां अपनी सभी अवश्यकता की चींजों की खरीदारी करते है। उनके भोले– भाले स्वभाव के कारण साहुकार एवं दुकानदार उनका कभी – कभी शोषण करते है। आधुनिक विधान अनुसूचित जाति जनजाति निवारण अधिनियम और संरक्षण अधिनियम सांवैधानिक प्रावधानों की समान्य जानकारी है। उसका उपयोग करने से डरते है। दुर्गम स्थानों मे निवास की समस्या भी इनकों एकता की सुत्र में बांधती है। लेकिन आधुनिक साधन मोबाईल, टेलीफोन, रेडियों, टी0बी0 के सम्पर्क में आकर उनकी ग्रामीण संस्कृति भी परिवर्तन की मार्ग पर भी चल पड़ी। इससे अनुकूलन की समस्या उत्पन्न हो रही है। वाह् सम्पर्क से उनकी दिनचर्या बदल रही है। और वह सिमांतता की स्थिति में जा रहे है।

वाह् सम्पर्क और शिक्षा की व्यवस्था ने उनके जीवन में कुछ सुधार लाया है। राजनीतिक जागरुकता बढ़ी है। लोकतन्त्र में सहभागीता उनके महत्व को बढ़ाती है। वोट की लालच ही सही किसी ना किसी रुप में जनप्रतिनिधि भी उनके यहां जाने लगे है। उनकी समाजिक स्थिति में छुआ – छुत की समस्या नहीं के बराबर है। वे नैतिक रुप से लेखक को अच्छे लगे। क्योकिं तिकड़म बाजी जैसे मूल्य उनके यहां देखने को कम मिले उनका भोला पन स्वभाव एक दुसरें से प्रेम से मिलने का स्वभाव लेखक के मनों भाव को प्रभावित कर गया। राजी समुदाय जीविकों पार्जन के लिए कृषि पर निर्भर है। लेकिन भूमि की उपजाऊ क्षमता कम होना सिंचाई की सुविधाओं का अभाव वर्षा पर निर्भरता व जलवायु परिवर्तन ने कृषि कार्य से विमुख कर दिया है। आधुनिक वन अधिनियमों ने पेड़ – पौधों की कटान पर रोक लगा कर उनके रोजगार को प्रभावित किया है ।जिससे वे मजदूरी करने पर विवश हो गये है। साथ ही साथ सभी लोगों के मनरेगा जॉब कार्ड पैनकार्ड अधार कार्ड बैंक की खातों की सुविधा दी गई है। किन्तु वास्तव में धरातल पर सबके पास नहीं है। आधुनिक उज्जवला गैस योजना से सभी को गैस सिलेण्डर मिला हुआ है। लेकिन सभी लोग लकड़ी का प्रयोग करके ही खाना बनाते है। कुछ लोग तो उसको रखे हुए है। किन्तु अधिकांश लोगों ने इसे अन्य को बेच दिया है। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना से बड़े गांव तो लाभान्वित है। किन्तु छोटे गांव में यह सुविधा नहीं है। शौचालय योजना के तहत बने शौचालय डब्बे के अलावा कुछ नहीं है। उनकी स्थिति बहुत ही खराब है।

इस प्रकार राजी जन जाति की समाजिक स्थिति का विश्लेषण करने पर पता चलता है। वे आज भी मौलिक रुप से गांवों में रहते है। प्राथमिक सम्बन्धों में बंधे हुऐ है। सभी एकता के सुत्र में बंध कर यान्तिक एकता का निर्माण करते है। उनके जीवन मूल्य जमीन से जुड़े हुऐ है। राजनीतिक जागरुकता बढ़ी है। इस जन जाति से माननीय गगन सिंह राजवार जी विधायक का चुनाव जीत चुके है। वाह्य सम्पर्क में आकर आधुनिक विधान व समाज की कल्याणकारी योजनायें इनके समाज को परिवर्तीत कर रही है। अवश्यकता इस बात की है कि आधुनिक विधान व कल्याणकारी योजनायें के सकारात्मक योजनाओं को समाहित किया जायें। और इससे होने वाले दुष्य परिणामों से निजात दिलाई जायें। आधुनिक पेय, दहेज प्रथा, फास्टफूड इनके जीवन में समाहित होते जा रहे है। जड़ी – बुट्टीयों के स्थान पर अंग्रेजी दवाओं से ये अनुकूलन नहीं कर पा रहे है। इसमें सुधार की अवश्यकता है। यह जन जाति उत्तराखण्ड में निवास करने वाली भोटिया, जौनसारी, राणा, थारु, बुक्सा से बहुत ही पिछड़ी है। यह समाजिक रुप से भोटिया व जौनसारी की अपेक्षा प्रकृति के ऊपर ज्यादा निर्भर है। जहां भोटिया में विकास की पूर्ण अवस्था देखने को मिलती है। वहीं इस जन जाति में समाजिक विकास के मानक गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, शारीरिक दुर्बलता, अकेलापन, जंगली निवास है। यह पूर्ण रुपेण ग्रामीण समाज व ग्रामीण संरचना से युक्त है। वहीं भोटिया अन्य जन जातियों में ग्रामीण संस्कृति व शहरी संस्कृति का मिला – जुला रुप देखने को मिलता है। इसके पहनावें भेष – भुसा पुर्णतः आदिवासी संस्कृत के है। जब कि अन्य जन जातियों में एक प्रतीक के रुप में जन जाति संस्कृत को अपनाया जा रहा है। अतः मूल में बहुत ही प्रकृति वादी व सनातनी व्यवस्था इस राजी जन जाति में देखने को मिलती है।

संदर्भ सूची –

1. प्राचीन भारत का इतिहास डा0 के0सी0 श्रीवास्तव ।
2. भारत की जन जातियों पर अध्ययन – मजूमदार एवं मजुमदार।
3. समाज शास्त्र शब्दकोष – रावत पब्लिक केशन।
4. भारतीय समाज – रावत पब्लिक केशन ।
5. कुमांयू का इतिहास – बी0डी0 पाण्डेय ।
6. कुमांयू एवं गढ़वाल की लोक कथाओं की विवेचन डा0 प्रयाग जोशी।
7. शोध अध्ययन जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान पिथौरागण ।
8. भाषा एवं मनोभाव एवं भाषा प्रयोग सर्वेक्षण – भारतीय संस्थान मैंसुर डा0 परमान सिंह एवं डा0 सत्येन्द्र अवस्थी ।
9. व्यक्ति साक्षातकार एवं अवलोकन ।
10. राजी समाज के प्रबुद्ध जनों द्वारा भाषा गत समस्या निवारण ।
11. भारत का संविधान ।